राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2) विभाग

क्रमांकःप.025(3) चि.स्वा./2/2014 जयपुर, दिनांकः 28.11.16

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर।

विषयः--बजट घोषणा वर्ष 2016-17 के बिन्दु संख्या 182 की क्रियान्विति हेतु 05 जिलों में खाद्य प्रयोगशाला स्थापित किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि बजट घोषणा वर्ष 2016-17 के बिन्दु संख्या 182 की क्रियान्विति के क्रम में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच हेतु 05 जिलों (बांसवाड़ा, जालौर, भरतपुर, बीकानेर एवं चुरू) में खाद्य प्रयोगशाला स्थापित किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है साथ ही प्रथम चरण के अन्तर्गत, निर्माण एजेन्सी CE-NHM के माध्यम से वृहद् निर्माण कार्य हेतु बजट मद *4210-01-110-(07)-[01]-* 17 वृहद् निर्माण कार्य (आयोजना) में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु नवीन मदान्तर्गत स्वीकृत प्रावधान राशि रू. 2500.00 लाख में से प्रत्येक प्रयोगशाला हेतु राशि रू. 50.00 लाख की दर से कुल **राशि रू. 250.00 लाख (अक्षरे राशि रू. दो सौ पचास लाख मात्र) (50x5)** का व्यय करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि कार्य आरम्भ होने के उपरांत आवश्यकतानुसार राशि को पी.डी. खाते में हस्तांतरण के प्रस्ताव प्रेषित किये जावें एवं निर्माण कार्य हेतु राशि का व्यय तत्संबंधी नियमों एवं नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए किया जावे।

भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपकरण क्रय एवं पदो के सृजन के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित करावें।

उक्त स्वीकृति आयोजना-वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 297/P5/2016 दिनांक 15.11.2016 एवं वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 151601239 दिनांक 24.11.2016 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा), राज0 जयपुर।
4. मिशन निदेशक, NHM, राज0 जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना-(वित्त) विभाग।
6. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
7. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0 जयपुर को आयोजना--वित्त विभाग की उक्त संदर्भित आई.डी. के परामर्श अनुसार उपकरण क्रय हेतु प्रस्ताव वर्ष 2017-18 की BFC प्रस्तावों में सम्मिलित करावें।
8. मुख्य अभियंता, NHM, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0 जयपुर।
9. एकल पत्रावली डी-1020 दिनांक 08.11.16/रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

कमांक:योजना / विकास / बजट घोषणा 2016–17 / 2609 दिनांक:– 28/12/16

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन संयुक्त सचिव, वित्त (बजट) शासन सचिवालय जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राज0 जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य) मुख्यालय।
4. मुख्य अभियंता (एनएचएम) मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त जारी स्वीकृति के अनुसार 5 नवीन खाद्य प्रयोगशालाओं के निर्माण कार्य करवाने का श्रम करावे।
5. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त जारी स्वीकृति के अनुसार स्वीकृति राशि रूपये 250.00 लाख को आई0एफ0एम0एस0 पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा / जालोर / चूरू / भरतपुर / बीकानेर
7. प्रभारी, सर्वररूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
8. आदेश / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (योजना)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर